



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269729
CG-DL-E-01022026-269729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 428]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 456(अ).— जबकि मेसर्स सनशोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय 1101A-1107, 11वीं मंजिल, बीपीटीपी पार्क सेंटर, जल वायु विहार, सेक्टर-30, गुरुग्राम-122018, हरियाणा, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम “मेसर्स सनशोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान के बीकानेर में उनके प्रस्तावित 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र नं. 25-17/65/2025-PG दिनांक 07-07-2025 के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर में सनशोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रस्तावित 250 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सनशोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 19.08.2025 तथा दैनिक युगपक्ष (हिंदी) दिनांक 19.08.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27.09.2025 में प्रकाशन की तिथि से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/आपत्तियों की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सनशोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 22.12.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय

समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीनों के भीतर तीन (3) अवलोकन/आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं, जिसका उचित उत्तर दिया जा चुका है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजना-बीकानेर-III (आई.एस.टी.एस) पूलिंग स्टेशन 220 केवी एस/सी लाइन डी/सी तथा एम/सी टावर पर

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क.स.	गाँव	तहसील	जिला	राज्य
1.	बरजू	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
2.	सरदारपुरा	छत्तरगढ़	बीकानेर	राजस्थान
3.	केलन	छत्तरगढ़	बीकानेर	राजस्थान
4.	लाखूसर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
5.	बराला	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
6.	कालासर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
7.	करणीसर भाटियान	पूगल	बीकानेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियाँ निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

1. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
2. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
3. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
4. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
5. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
6. मेसर्स सनशयोर सोलरपार्क आरजे वन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

7. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/2/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 456(E).— Whereas M/s Sunsire Solarpark RJ One Private Limited, the applicant with its registered office at 1101A-1107, 11th Floor, BPTP Park Centra, Jal Vayu Vihar, Sector-30, Gurugram, Haryana, India-122018 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Sunsire Solarpark RJ One Private Limited for its proposed 250 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.”

And whereas Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/65/2025-PG dated 07-07-2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission “Transmission system for providing connectivity to M/s Sunsire Solarpark RJ One Private Limited for its proposed 250 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.”

M/s Sunsire Solarpark RJ One Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 19.08.2025 & Dainik Yugpaksha (in Hindi) dated 19.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 27.09.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Sunsire Solarpark RJ One Private Limited has submitted an affidavit dated 22.12.2025 declaring that three (03) nos. of observations/representations were received within two months from the date of publication of public notice and observations received were suitably replied.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for Sunsire Solarpark RJ One Private Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Sunsire Solarpark RJ One Private Limited Solar Power Project - Bikaner-III (ISTS) Pooling station 220kVS/c line on D/c& M/c tower

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of State of Rajasthan.

S. No.	Villages	Tehsil	District	State
1.	Barjoo	Poogal	Bikaner	Rajasthan
2.	Sardarpura	Chhatargarh	Bikaner	Rajasthan
3.	Kelan	Chhatargarh	Bikaner	Rajasthan
4.	Lakhoosar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
5.	Barala	Poogal	Bikaner	Rajasthan
6.	Kalasar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
7.	Karnisar Bhatiyani	Poogal	Bikaner	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Sunsure Solarpark RJ One Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Sunsure Solarpark RJ One Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F.No. 25-16/2/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)